(ख) दालों का आयात मुक्त रूप से अनुमत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा और कीमत नीचे दी गई है:—

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1995-96	4.91	685.57
1996-97	6.55	890.34
1997-98	6.59	833.64

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर दालों का कोई आयात नहीं किया गया।

(ग) दालों के आयात में कमी लाने के प्रयोजन से दालों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम नामतः राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

Oil imports affecting domestic solvent extraction plants

1854. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether excessive oil imports flooding the market have resulted in domestic solvent extraction plants plagued by excess idle capacity; and

(b) if so, the steps proposed to protect such domestic processors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) Domestic solvent extraction plants are working to well below their installed capacity due to shortage or oil bearing material and not due to excessive oil imports. The Shortfall between demand and supply is currently estimated at between 14-15 lakh MTs. Against this, the import of 11.3 lakh MTs of edible oils in the financial year 1997-98 cannot be considered as excessive.

भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली राज-सहायता

1855. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि राज-सहायता के रूप में प्रदान की गई;

(ख) यह सहायता किस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई और तत्संबंधी राशि कितनी थी;

(ग) निगम द्वारा उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः कितनी धनराशि की मांग की गई थी; और

(घ) निगम को उक्त अवधि में वास्तव में कितना नुकसान हुआ था और हजनि के रूप में निगम को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की इकनामिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं आदि के अधीन वितरण से उनकी बिक्री प्राप्ति के बीच के अन्तर के भुगतान उपभोक्ता सब्सिडि के रूप में करती है। बफर स्टाक रखने की लागत प्रतिपूर्ति भी निगम को खाद्य सब्सिडि के रूप में की जाती है। इसके अलावा, निगम को हुई मार्गस्थ और भण्डारण कमियों/हानियों की प्रतिपूर्ति भी इनको नियमित करने की निर्धारित कार्यावधि को अपनाकर इनको नियमित करने के बाद की जाती है। 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम की अनुमानित आवश्यकताओं के प्रति